26

विशेष श्रेणियों के लिए रोजगार सहायता

रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही विशेष श्रेणियों की महिलाओं, अ.जाति / अ.जनजाति, विकलांग तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए प्रयास जारी रखे गए हैं ।

26.1 महिलाएँ

वर्ष 1993-2003 (जनवरी -जुलाई) के दौरान महिला आवेदकों के संदर्भ में रोजगार कार्यालयों का वर्ष वार क्रियान्वयन तालिका 26.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 26.1 (हजार में)

वर्ष	*पंजीकरण*	*नियोजन*	*महिलाओं का चालू रजिस्टर*	*कुल चालू रजिस्टर*	*कुल चालू रजिस्टर में महिलाओं के चालू रजिस्टर की प्रतिशतता*
1999	1616.7	53.0	9932.7	40371.4	24.6
2000	1646.3	35.7	10457.3	41343.6	25.3
2001	1540.8	31.5	10884.8	41995.9	25.9
2002	1343.1	25.9	10649.5	41171.2	25.9
2003 (जन.-जुलाई)	829.3	14.9	10807.1	41415.4	26.1

26.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति

वर्ष 2001 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रोजगार चाहने के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्यो के निष्पादन का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया है :-

	(लाख में)	**2000**	**2001**
अनुसूचित जाति	* पंजीकरण	7.19	7.60
	* नियोजन	0.24	0.20
	* चालू रजिस्टर	61.35	63.40
अनुसूचित जनजाति	* पंजीकरण	2.67	2.70
	* नियोजन	0.10	0.70
	* चालू रजिस्टर	18.60	19.32

अन्य पिछड़ी जाति	* पंजीकरण	9.73	9.39
	* नियोजन	0.20	0.18
	* चालू रजिस्टर	75.92	81.65

अनुसूचित जाति / अनूसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों के संबंध में विशेष जानकारी

- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या 1992 की तुलना में 2001 में 48.0 लाख से बढ़कर 63.9 लाख हो गई, जिससे 33.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
- अनूसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या 1992 की तुलना में 2001 में 12.57 लाख से बढ़कर 19.32 लाख हो गई ।
- वर्ष 2001 के अंत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या कुल संख्या का क्रमश: 15.2 एवं 4.6 प्रतिशत थी ।
- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों की नियुक्तियों की संख्या 1992 की तुलना में 2001 में 38.6 हजार से घटकर 19.9 हजार रह गई ।

26.3 अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 22 अध्यापन सह मार्गशन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, कोलकाता, जयपुर, राँची, सूरत, आइजोल, बंगलौर, इम्फाल, हिसार, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर में कार्य कर रहे हैं । इनमें से एक केन्द्र जो जोवई में है अभी भी पूर्ण रुप से कार्यरत होने की प्रक्रिया में है । इन केन्द्रों के कार्य निम्नलिखित हैं :-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना ।
- नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने के समय संभावित परीक्षा के प्रकार/साक्षात्कार का सामना करने और आजीविका की अपेक्षाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।
- आरक्षित रिक्तियों के प्रति संप्रेषण का परिणाम जानने के लिए नियोजकों के साथ उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
- रोजगार चाहने वालों के लिए आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसाय मार्गदर्शन और निर्देशन देने के साथ-साथ विकास कार्य संबंधी कार्य करना ।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करना । यह सुविधाएं अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंड़ी , कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रो में उपलब्ध हैं ।
- अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्रो द्वारा दी जा रही सेवाओं की सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किये जाते हैं। इन निरीक्षणों में तकनीकी निरीक्षणों के साथ-साथ प्रशासनिक एवं कार्यालय एवं रख-रखाव संबंधी निरीक्षण भी सम्मिलित हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु विशेष अध्यापन योजना की विशेषताएं :-

♦ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा दिल्ली एवं गाजियाबाद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समूह ‘ग’ पद के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षाओं/चुनाव परीक्षाओं हेतु एक विशेष अध्यापन योजना चलाई जा रही है।

♦ अभी तक 20 चरणों तक 6119 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक कार्मिकों ने लिपिक / आशुलिपिक पदों के लिए सफलतापूर्वक अध्यापन पूरा किया। 21वां चरण 01.07.2003 से चल रहा है।

♦ इस प्रशिक्षण की अवधि 11 माह है तथा प्रशिक्षुओं को 175 रु० प्रतिमाह की दर से वृतिका प्रदान की जाती है साथ ही, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सीमित लेखन सामग्री भी दी जाती हैं।

♦ विशेष अध्यापन योजना के फायदों को दृष्टि में रखते हुए यह योजना छः केन्द्रों जो कि कानपुर, कोलकाता, बंगलोर, हैदराबाद, राँची और सूरत में हैं, 1992 से आगे बढ़ा दी गई हैं ।

♦ इस योजना के 8वें चरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1826 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया । 9वां चरण 01.01.2003 से चालू है।

♦ आगे यह योजना 1999 से छः अन्य केन्द्रों गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई, तथा तिरुअनंतपुरम में लागू की गयी एवं 432 विद्यार्थियों ने तीन चरणों में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया । चौथा चरण 01.01.2003 से चालू है।

26.4 विकलांग व्यक्ति

क. रोजगार कार्यालय

पहले की तरह ही रोजगार सेवा ने रोजगार चाहने वाले विकलांगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अपने प्रयास लगातार जारी रखे ।

क्र सं.	विवरण	नेत्रहीन	मूक व बधिर	अस्थि विकलांगता	आंशिक रूप से कुष्ठ रोगी	आंशिक रूप से मंदबुद्धि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
क* जनवरी-दिसम्बर 2003 के दौरान निष्पादन							
1.	2003 के आरम्भ में उम्मीदवारों की संख्या	49	41	105	04	08	197
2.	2003 के दौरान प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	2043	3380	24345	72	550	30390
3.	2003 के दौरान मूल्याँकित उम्मीदवारों की संख्या	2025	3327	24028	75	546	30001
4.	मूल्याँकन पूरा किए बैगेर केन्द्र छोड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या	14	36	212	-	08	270
5.	2003 के अन्त में अभी भी मूल्याँकनाधीन उम्मीदवारों की संख्या	53	48	210	01	04	316
6.	2003 के दौरान पुनर्वासित उम्मीदवारों की संख्या	690	1186	7236	43	137	9292

- चालू रजिस्टर पर विकलांगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है।
- वर्ष 2001 के दौरान रोजगार में लगाए गए रोजगार चाहने वाले विकलांगों की संख्या 3.5 हजार थी ।

(ख) विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय :

- यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामान्यता विकलांगों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी हैं फिर भी उनके लिए चुनिंदा नियोजन के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की गई हैं।

- ये विशेष रोजगार कार्यालय उनकी शारीरिक क्षमता एवं मानसिक संभाव्यता के अत्यधिक अनुकूल रोजगार प्रदान करने हेतु प्रयास करते हैं ।
- इस समय देश में 42 विशेष रोजगार कार्यालय (जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार) कार्य कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्य दल (वर्किंग ग्रुप) तथा विशेष रोजगार कार्यालयों के पुनर्गठन पर कार्यबल की सिफारिशों को मानते हुए रोजगार कार्यालयों में विकलांगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष सैलों की स्थापना का निर्णय लिया गया ।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से वितपोषित तथा एक विशेष नियोजन अधिकारी के साथ सामान्य रोजगार कार्यालयों में विकलांगों के लिए 39 विशेष सैलों की स्थापना की गई है।
- ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोजगार कार्यालयों में विकलांग अभ्यर्थियों के लिए खोले गए विशेष सैलों / एककों के अतिरिक्त हैं ।

(ग.) विकलागों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र:

- श्रम मंत्रालय विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी एवं प्रतिबद्ध है । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो विकलांगों के कल्याण हेतु प्रमुख मंत्रालय है, से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय नियमित समन्वयन एवं सहयोग करता रह है ।
- देश में, अहमदाबाद, मुम्बई, भुवनेश्वर, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, गुवाहाटी, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, अगरतला, पटना, तथा बडोदरा में 17 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर हैं, इनमें से बडोदरा स्थित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र पूर्ण रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। ये केन्द्र विकलागों की कार्यक्षमता का आकलन करते है और उन्हें आवश्यकतानुरुप प्रशिक्षण प्रदान करके उनके शीघ्र आर्थिक पुनर्वास में सहायता करते हैं । उन्हें अन्य उपयुक्त पुनर्वास सेवाएं यथा नौकरी में लगाना, स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा इन प्लांट प्रशिक्षण, प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं।
- मुम्बई, अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, त्रिवेन्दम, हैदराबाद तथा कानपुर के व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों पर विकलांगों के त्वरित पुनर्वास हेतु 7 कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएँ (एसटीडब्लयू) स्थापित की गई है। इन केन्द्रों पर अनौपचारिक रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- चल कैम्पों तथा 5 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों यथा, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना तथा चेन्नई के अंतर्गत 11 ब्लॉकों में स्थापित ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों (आर.आर.ई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों के लिए भी पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है।
- जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003 के दौरान 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों का कार्यनिष्पादन दिया गया है।

घ. विकलांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को सहायता

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिन्हित रिक्तियों पर विकलांग भूतपूर्व सैनिको / सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा रक्षा बल कार्मिकों अथवा रक्षा सेवा कार्मिकों के आश्रितों/मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों अथवा युद्ध में गंभीर रूप से विकलांग कार्मिकों को नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक भूतपूर्व सैनिक सैल की जुलाई,1972 में स्थापना की गई । तदनुरुप, विशेष सेवाओं के लाभ के कार्यक्षेत्र का फरवरी, 1991 से मिलिट्री सेवा में मृत्यु अथवा विकलांगता पर युद्ध और शांति काल के दौरान हुए विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ शांति काल में मारे गए अथवा गंभीर रुप से विकलांगों के आश्रितों के लिए भी विस्तार किया गया ।अक्तूबर, 2003 के अंत में 201 विकलांग सैनिक तथा 2239 आश्रित, भूतपूर्व सैनिक सैल के माध्यम से रोजगार पाने की प्रतीक्षा में थे ।

26.5 अल्प संख्यक

- राष्ट्रीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए पूर्ण एकजुटता के प्रधानमंत्री के निर्देश को मानते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और नामों की सूची भेजने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए ।
- अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में हुई प्रगति तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल-रोजगार कार्यालय पंजीकरण आयोजित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को निदेश देने की भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है ।
- कुल मिलाकर दिसम्बर, 2001 के अंत में भारत के सभी रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित रोजगार चाहने वालों की संख्या 59.6 लाख थी । यह चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या का 14.1 प्रतिशत है ।